न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 87/2017

उनवान

1. भगवान पुरी पुत्र स्व0 मोतीपुरी
2. जगदीश पुरी पुत्र स्व0 मोतीपुरी
   जति गुसाई निवासी ग्राम नयाबास तन टांकरडा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
2. चेतनपुरी पुत्र छीतरपुरी
3. महावीरपुरी पुत्र छीतरपुरी
4. बंशीपुरी पुत्र रूडापुरी
5. कमली देवी पुत्री रूडापुरी
6. मनभरी देवी पत्नी छीतरपुरी
7. मदनपुरी पुत्र कानपुरी
   समस्त जाति गुसाई निवासी ग्राम नयाबास तन टांकरडा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
8. जमना देवी पत्नी भगवान सहाय
9. तीजा देवी पत्नी साधुराम
10. मालीराम पुत्र साधुराम
11. जगदीश पुत्र साधुराम
12. महेन्द्र पुत्र हनुमान
13. हनुमान पुत्र मंगला
    समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नयाबास तन टांकरडा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषण व दुरूस्थी

निर्णय दिनांक :– 18.12.2019

व.फ.उपस्थित। वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण वाके ग्राम नयाबास टांकरडा तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता सं0 140 जिसके आराजी खसरा नम्बर 224 रकबा 0.39 है0, खसरा नम्बर 225/973 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 256/973 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 256/974 रकबा 0.04 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.47 है0 एवं भूमि खाता संख्या 60 जिसके आराजी खसरा नम्बर 209/923 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 236 रकबा 1.04 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.11 है0 एवं भूमि खाता संख्या 61 जिसके आराजी खसरा नम्बर 232/970 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 233 रकबा 0.13 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.18 है0 भूमि स्थित है, जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 शामलाती रू॰ से काबिज काश्त है।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 एक ही मौरिसान की सन्ताने हैं, तथा संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य हैं, एवं उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 की पुश्तैनी खातेदारी भूमि हैं, तथा उक्त भूमि पूर्व में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 के पिता/दादा जवाहरपुरी के नाम से दर्ज थीं, तथा उनकी फौतगी के पश्चात उक्त भूमि वादीगण के पिता मोतीपुरी पुत्र जवाहरपुरी व अन्य सहखातेदारान के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई जो सम्वत् 2010 से निरन्तर 2036 तक दर्ज रही उसके पश्चात राजस्व कार कुनान की गलती के कारण सम्वत् 2037 से 2040 में सहखातेदारान के साथ वादीगण के पिता मोतीपुरी के नाम के सीन पर जवाहरपुरी गलती से दर्ज कर दिया गया जबकि

Scanned by CamScanner

वास्तविकता में वादीगण के पिता का नाम मोतीपुरी पुत्र जवाहरपुरी दर्ज होना था। परन्तु राजस्व कारकुनान में वादीगण के पिता का नाम मोतीपुरी के सीन पर जमाबन्दी सम्बत् 2036 के पश्चात सहवन से त्रुटिवश जवाहरपुरी राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया। उसके पश्चात वादीगण ने अन्य खातेदारान से उक्त भूमि का विनिमय पत्र दिनांक 30.05.2017 को तहसीलदार महोदय चौमूं के समक्ष कर लिया परन्तु राजस्व रिकार्ड में जो विनिमय पत्र के माध्यम से हाल खातेदारी खुली उसमें भी पूर्व से गलत रूप से चले आ रहे राजस्व रिकार्ड के आधार पर एक हिस्से में भगवानपुरी जगदीशपुरी पुत्र जवाहरपुरी ही दर्ज हो गया जबकि वास्तविकता में वादीगण के पिता का नाम जवाहरपुरी के सीन पर मोतीपुरी दर्ज होना चाहीये।

वादीगण डिक्री किया जाकर उक्त गलती को दुरूस्ती इन्द्राज करते हुये वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते हुये भगवानपुरी, जगदीशपुरी पुत्रान् स्व0 जवाहरपुरी के स्थान पर भगवानपुरी, जगदीशपुरी पुत्रान् स्व0 मोतीपुरी नाम अंकित जाकर तद्अनुसार ही वादीगण का नाम भगवान पुरी, जगदीशपुरी पुत्रान् स्व0 मोतीपुरी के नाम की घोषणा की जावें।

वादी का वाद पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 8 लगा. 13 बावजुद तलबी अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 7 की ओर से जरिये अधिवक्ता ने सहमति का जवाब दावा पेश किया। तथा वादी ने अपने साक्ष्य में गवाह चेतनपुरी, महावीर पुरी पुत्रान् छीतरपुरी, बंशीपुरी पुत्र रूडापुरी, कमली देवी पुत्री रूडापुरी, मनभरी देवी पत्नी छीतरपुरी, मदनपुरी पुत्र कानपुरी का साक्ष्य में शपथ पत्र पेश कर पुर्ण सहमति जाहीर की गई। बहस पक्षकारान के अधिवक्ता की सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

अतः वादी का प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वीकार किया जाकर वादीगण का नाम भगवानपुरी , जगदीशपुरी पुत्रान् स्व0 जवाहरपुरी के स्थान पर भगवानपुरी, जगदीशपुरी पुत्रान् स्व0 मोतीपुरी नाम अंकित किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने की घोषणा की जाती है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे तथा तहसीलदार चौमूं को पालना हेतु लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

हिम्मत सिंह
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास हिम्मत सिंह आरएएस

उनवान

1. भगवान पुरी पुत्र स्व0 मोतीपुरी
2. जगदीश पुरी पुत्र स्व0 मोतीपुरी

जति गुसाई निवासी ग्राम नयाबास तन टांकरडा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
2. चेतनपुरी पुत्र छीतरपुरी
3. महावीरपुरी पुत्र छीतरपुरी
4. बंशीपुरी पुत्र रूडापुरी
5. कमली देवी पुत्री रूडापुरी
6. मनभरी देवी पत्नी छीतरपुरी
7. मदनपुरी पुत्र कानपुरी

   समस्त जाति गुसाई निवासी ग्राम नयाबास तन टांकरडा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
8. जमना देवी पत्नी भगवान सहाय
9. तीजा देवी पत्नी साधुराम
10. मालीराम पुत्र साधुराम
11. जगदीश पुत्र साधुराम
12. महेन्द्र पुत्र हनुमान
13. हनुमान पुत्र मंगला

    समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नयाबास तन टांकरडा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषण व दुरूस्थी

मुकदमा नं0 87 / 2017

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिन जामिन मुददई रूबरू हिम्मत सिंह आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का नाम भगवानपुरी , जगदीशपुरी पुत्रान् स्व0 जवाहरपुरी के स्थान पर भगवानपुरी, जगदीशपुरी पुत्रान् स्व0 मोतीपुरी नाम अंकित किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने की घोषणा की जाती है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे तथा तहसीलदार चौमूं को पालना हेतु लिखा जावें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 18.12.2019 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत .....
ओहदा.....

Scanned by CamScanner

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	0	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	0	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.01.05 12:17:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: